भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *115

दिनांक 11 फरवरी, 2021 को उत्तर के लिए

महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में बढ़ोतरी

***115 श्री मल्लिकार्जुन खरगेः**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विगत कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में भयावह हाथरस मामले समेत महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है ।

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में अत्यधिक बढ़ोतरी होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण मांगा है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करने में राज्य प्रशासन क्यों विफल रहा है ;

(घ) क्या देश भर में महिला सुरक्षा की समस्या के समाधान के लिए कोई विशिष्ट उपाय किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ड.) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

***

'महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में बढ़ोतरी' के संबंध में श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2021 को राज्य सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 115 में संदर्भित विवरण

(क) और (ख) : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों पर सूचना का संकलन और अपने प्रकाशन 'भारत में अपराध' में सांख्यिकी आंकड़े प्रकाशित करता है। वर्ष 2019 तक प्रकाशित रिपोर्टें उपलब्ध हैं। महिलाओं के प्रति अपराधों के विभिन्न शीर्षों के तहत दर्ज मामलों के इस डाटा के विश्लेषण से कोई एक समान रूझान नहीं दिखाई देता।

(ग) से (ड.) : 'पुलिस' और 'कानून व्यवस्था' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, महिलाओं सहित नागरिकों के जानमाल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें कानून के मौजूदा कानूनों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं।

सरकार ने देशभर में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दों का समाधान करने के लिए कई पहलें शुरू की हैं। इनमें 'आपराधिक कानून(संशोधन) अधिनियम, 2018', 'आपराधिक कानून(संशोधन) अधिनियम, 2013', 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न(निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013', 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2006', 'दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961' आदि जैसे कानून शामिल हैं। 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के बलात्कार के लिए मृत्यु दंड सहित और भी कठोर दंडात्मक प्रावधान निर्धारित करने के लिए आपराधिक कानून(संशोधन) अधिनियम, 2018 को अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम अन्य बातों के साथ-साथ क्रमश: दो महीनों में जांच और मुकदमों पूरा करने का भी अधिदेश देता है।

महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित प्रमुख स्कीमों/परियोजनाओं में वन स्टॉप सैंटर(ओएससी), महिला हैल्पलाइन(डब्ल्यूएचएल) का सार्वभौमीकरण, आपात प्रतिक्रिया सहयोग प्रणाली(ईआरएसएस), पुलिस, एम्बुलेंस और अग्निशमन जैसी आपात स्थितियों के लिए एक अखिल भारतीय एकल नम्बर(112)/मोबाइल ऐप आधारित प्रणाली का कार्यान्वयन, अश्लील सामग्री की सूचना देने के लिए साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, 08 शहरों में सुरक्षित शहर परियोजनाएं, जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों, चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यौन हमला साक्ष्य संग्रहण(एसएईसी) किटों का वितरण, सीएफएसएल, चंडीगढ़ में आधुनिकतम डीएनए प्रयोगशाला की स्थापना, फॉरैंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता, देश के सभी जिलों में मानव दुर्व्यापार-रोधी इकाइयों(एएचटीयू) स्थापित/सुदृढ़ करना, पुलिस थानों में महिला हैल्प डैस्क(डब्ल्यूएचडी) स्थापित/सुदृढ़ करना शामिल है। सरकार बलात्कार के मामलों और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामलों के त्वरित निपटान के लिए 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने के लिए भी राज्यों/संघ राज्यों की सहायता करती है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा देश भर में यौन अपराधियों की जांच और पता लगाने को सुविधाजनक बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने दिनांक 20.09.2018 को 'यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डाटाबेस(एनडीएसओ)' जारी किया है। गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार, यौन हमलों के मामलों की निगरानी और समयबद्ध जांच का पता लगाने में सुविधा के लिए 19.02.2019 को 'यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली' के एक ऑनलाइन विश्लेषण टूल की भी शुरूआत की है।

इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने समय-समय पर अधिनियमों और मंत्रालय द्वारा प्रशासित/कार्यान्वित स्कीमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को एडवाइजरी जारी की हैं। इस संबंध में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रैंस भी किए गए हैं।

*****